न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), एफ 0 टी0 सी0, बरेली।

वाद सं0-563/2024

सरकार बनाम संजय ।

मु०अ० सं०- 257/2021
धारा- 13G Act
थाना-इज़्ज़तनगर, बरेली।

पत्रावली आज **लोक अदालत** में पेश हुई। अभियुक्त संजय की ओर से लोक अदालत में प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त स्वेच्छा से जुर्म इकबाल करना चाहता है एवं जुर्माने के आधार पर उक्त वाद का निस्तारण कराना चाहता है। अतः अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित करने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

रूबरू अदालत अभियुक्त संजय द्वारा बिना किसी भय व दबाव के जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन किया गया तथा न्यूनतम दंड से दंडित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण मूलतः वर्ष 2021 का है। अतः अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है।

आदेश

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त संजय को मु०अ० सं०-257/2021, धारा- 13G Act,थाना इज़्ज़तनगर, बरेली के प्रकरण में जुर्म इकबाल के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए, मु0 150/-(एक सौ पचास रूपये), के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। इस निर्णय/आदेश की एक प्रति दोषसिद्ध अपराधी को निशुल्क प्रदान की जाये। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांकः- 10.05.2025

(राखी सिहं)
सिविल जज (जू0 डि0),
एफ 0 टी0 सी0, बरेली।